कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया ।

पत्रांक 429/नि0वि0–15–16/ देवरिया दिनांक : 07.07.15

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के वर्श 15–16 मे पजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि पालिका के निम्न निर्माण कार्य रा0वि0 आयोग से कराये जाने हेतु **दिनाक 23.07.15** को साय 3 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमत्रित की जाती है जो पालिका/कलेक्टे्ट कार्यालय में रखे निविदा वाक्स मे डाली जाएगी एवं उपस्थित ठेकेदारगण के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निर्धरित शुल्क जमाकर दिनाक **22.07.15 को प्रातः 10.00 से सायं 3.00 बजे** तक पालिका कार्यालय/कलेक्टे्ट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ठ मूल्य की धरोहर धनराशि के रूप मे एन0एस0सी0/के.वी0पी0/एफ0डी0आर/नगद फार्म–5 आदि जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम बधंक हो सलग्न करना अनिवार्य है तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा जमानत प्रपत्र की छायाप्रति मान्य नही होगी।उक्त निविदा को www.deoria.nic.in व पालिका के चालू वेवसाइड www.Municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है।

क्र0 सं0	वार्ड नं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	0	अबूबकर नगर गोरखपुर सिविल लाइन रोड में कामर्शियल शापिंग काम्प्लेक्स भवन का निर्माण कार्य ।	3,10,14,000.00	31,01,400.00	31,500.00	1वर्ष
2	0	स्टेशन रोड अबूबकर नगर में शापिंग काम्प्लेक्श निर्माण कार्य	1,08,75,000.00	10,87,500.00	11,000.00	1वर्ष

नियम व शर्ते –

1– रेट परसेंटेज बेसिस पर डाले जायेगें ।

2– एक या समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे निहित होगा।

3– निविदा की दरे स्पश्ट रूप से भाब्दो तथा अंको मे निर्धारित स्थान पर अकित होने चाहिए।

4– निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पश्ट हस्ताक्षर होने चाहिए ।

5– निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।

6– निर्माण कार्य पूर्ण होने के 6माह के अन्दर कार्य मे किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत जब्त की जा सकेगी।

7– ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किए जाने की दशा मे विलम्ब पर अर्थदण्ड देय भी हो सकेगा ।

8– निविदा की बैद्यता एक वर्ष होगी ।

9– अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस मे निर्माण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती है ।

10– निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा मे अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
देवरिया।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 446/प0प्र0अनु0–2015–16/देवरिया दिनांक : 09.07.2015

दर आमंत्रण हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के मार्ग प्रकाश अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि/राज्य वित्त से निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु फिलिप्स, हैवेल्स, क्राम्प्टन ग्रीवज, बजाज, सूर्या ब्रान्ड के मूल निर्माताओं/उनके डीलर्स से मुहर बन्द निविदायें **दिनांक 27.07.2015 को 4.00 बजें तक आमत्रित की जाती है,** जो कलेक्ट्रेट में रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि/समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप सें 4.30 बजें खोली जायेगी। निविदा तिथि को अवकाश होने की दशा में अगलें कार्य दिवस पर डाली/खोली जायेगी। निविदा के साथ मु0 20000=00 रू0 धनराशि की धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद देवरिया के पक्ष में राश्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर./टी.डी.आर./एन्.एस.सी./के.बी.पी. आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर के साथ डीलरशीप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र **दिनांक 25.07.2015 को प्रातः 11.00** बजें से सायं 4.00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिशद देवरिया के प्रकाश लिपिक पटल व कलेक्ट्रेट के एल.बी.सी. पटल सें रू0 700/–का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते है। उक्त विज्ञापन को देवरिया के चालू वेवसाइड WWW.Deoria.nic.in व पालिका के चालू वेवसाइड www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिशद देवरिया में निहित होगा।

क्र0सं0	समग्री का विवरण
1	ट्यूब राड 40 वाट
2	चोक 40 वाट (इलेक्ट्रानिक्स)
3	मरकरी होल्डर
4	बल्ब 100 वाट
5	बल्ब होल्डर (पेन्डेन्ट)
6	सोडियम बल्ब 250 वाट
7	सोडियम चोक 250 वाट कापर
8	सोडियम बल्ब 150 वाट
9	सोडियम चोक 150 वाट (कापर)
10	सोडियम बल्ब 70 वाट
11	सोडियम चोक 70 वाट (कापर)
12	सोडियम सेट 70वाट का(कापरचूड़ीटाईप होल्डर)
13	इगनाइटर
14	हाई मास्ट बल्ब 400 वाट

क्र0सं0	समग्री का विवरण
15	हाई मास्ट चोक 400 वाट(कापर)
16	सी.एफ.एल. बल्ब 65 वाट पीन टाइप
17	सी.एफ.एल. सेट 85 वाट का होल्डर
18	सी.एफ.एल. बल्ब 25 वाट
19	स्टील ग्रीप टेप
20	केबुल 2.5 एम.एम. डबल कोर (एल्युमिनीयम)
21	केबुल 6.00 एम.एम. डबल कोर (एल्युमिनीयम)
22	केबुल 10.00 एम.एम. डबल कोर (एल्युमिनीयम)
23	वेड स्वीच 5 एम्पीयर
24	15 एम्पीयर स्वीच बेके लाइट
25	मेन स्वीच थ्रीफेज 32 एम्पीयर
26	मेन स्वीच 100एम्पीयर टी.पी.
27	सोडियम होल्डर कापर

नियम व भार्तेः–

1– निविदा पर निविदादाता के स्पश्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पश्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2– निविदादाता को निविदा की दरे स्पश्ट रूप से भाब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ अंकित करनी होगी।

3– निविदाऐं सिर्फ प्रति अद्द की दरो हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

4– डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।

5– सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एकरानामा करके कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एफ.डी.आर./के.वी.पी./एन.एस.सी./नगद जमानत की धनराशि जमा करना होगा।

6– अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोशागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।

7– निविदा में प्राप्त दरों की बैधता 31 मार्च 2016 तक होगी। इस अवधि में पालिका की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने के लिए स्वीकृत निविदादाता बाध्य होगा।

8– कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड देय होगा।

9– सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति पूर्ण नहीं किया गया तो नगर पालिका परिशद को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो पालिका को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

10– कम्पनी/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत सामग्रियों में यदि कम्पनी द्वारा निर्धारित गारन्टी अवधि में किसी प्रकार की कोई खराबी या कमी पाये जाने की दशा में उक्त सामग्री को बदलना अनिवार्य होगा।

11– सफल निविदादाता द्वारा पहले विद्युत सामग्री का सैम्पल पथ प्रकाश स्टोर में देना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

12– किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिशद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिशद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

13– न्यूनतम निविदादाता को आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्पूर्ण सामानो की आपूर्ति एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।

14– आपूर्ति लिये जाने वाले प्रकाश उपकरणों के लिए व्यापार कर में पंजीकृत व्यापारी/आपूर्तिकर्ता होना अनिवार्य होगा।

15– उत्तर प्रदेश व्यापार/आयर विभाग से पंजीकृत फर्मो को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी

(अलका सिंह)
अध्यक्ष